न्यायालय :– राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रक. / 2014 रिव्यू – 2161– III/14

एस. पी. धाकड़ एड. द्वारा आज दि. 18/07/14 को प्रस्तुत
18-7-14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मायाराम पुत्र ठाकुर लाल जाटव निवासी ग्राम इंदरगढ तह. नरवर जिला शिवपुरी

........आवेदक

बनाम

म.प्र. भाासन

..........अनावेदक

रिव्यू अंतर्गत धारा 51 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर के प्रक. 2296/2013/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 12.06.214 के विरुद्ध रिव्यू प्रस्तुत।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 2161–तीन/14 **जिला शिवपुरी**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–8–2015	उभयपक्ष अधिवक्तागण के रिव्यु प्रकरण की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 2296–तीन/13 में पारित आदेश दिनांक 12–06–2014 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों । **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	